न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

निगरानी संख्या : 35/2021 | दायरा दिनांक : 30.06.2021

GCMS NO. : 2021/35

मोहनलाल पुत्र श्री गोमन्दराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 टीटीडी ठेठार तहसील सूरतगढ़
(निगरानीकर्ता)

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(गैरनिगरानीकर्ता)

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित–
1.श्री श्याम सुन्दर चाण्डक, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री श्याम चुघ, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: निर्णय :: दिनांक : 01.01.2024

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत ठेठार, पंचायत समिति सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 28.06.2021 के विरूद्व यह निगरानी पेश कर निवेदन किया निगरानीकर्ता के धारण एवं कब्जा में एक आवासीय आहता आबादी भूमि वाके ग्राम 3 टीटीडी प0 नं0 171/18 कि.नं. 21 में पैमूद 70 गुणा 80 वर्गफुट ग्राम पंचायत ठेठार पंचायत समिति सूरतगढ़ में स्थित है जिसमें मौका पर मकानात बने हुए है जिसमे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य रिहायश कर रहे हैं। प्रार्थी के पास इस आवासीय आहता के अलावा कोई आहता नहीं है। अप्रार्थी उक्त ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर कार्यरत है। सरपंच महिला है, जिसका ससुर बेगाराम पुत्र श्री राउराम जाति मेघवाल निवासी ठेठार राजनैतिक रंजिश तथा चुनावों में वोट नहीं देने के कारण प्रार्थी से रंजिश रखता है। इसी रंजिश के चलते अप्रार्थी द्वारा अपने ससुर के कहने पर प्रार्थी को उसके घर से बेदखल करने हेतु आदेश दिनांक 28.06.2021 पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्ती है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर पिछले 60 वर्षों से कब्जा है जो कि उनके पिता के समय से लगातार चला आ रहा है। पंचायतीराज एक्ट की धारा 157(क) के तहत पुराने कब्जों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा उक्त नियमों के तहत जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन भी किया हुआ है जिसको नजरअंदाज कर प्रार्थी के उक्त पुराने कब्जा का विनियमितिकरण नहीं कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। नियमानुसार प्रत्येक अतिक्रमी को अलग–अलग नोटिस देने का प्रावधान है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जल्दबाजी में बिना कानूनी कार्यवाही अपनाये मात्र एक नोटिस में सभी अतिक्रमियों को बेदखली का आदेश जारी कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना पारित किया होने से निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चाण्डक हाजिर हुए। गैरनिगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम चुघ उपस्थित आये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता के धारण एवं कब्जा में एक आवासीय आहता आबादी भूमि वाके ग्राम 3 टीटीडी प0 नं0 171/कि.नं. 21 में पैमूद 70 गुणा 80 वर्गफुट ग्राम पंचायत ठेठार पंचायत समिति सूरतगढ़ में स्थित है जिसमें मौका पर मकानात बने हुए है जिसमे प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सदस्य रिहायश कर रहे हैं। प्रार्थी के पास इस आवासीय आहता के अलावा कोई आहता नहीं है। अप्रार्थी उक्त ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर कार्यरत है। सरपंच महिला है, जिसका ससुर बेगाराम पुत्र श्री राउराम जाति मेघवाल निवासी ठेठार राजनैतिक रंजिश तथा चुनावों में वोट नहीं देने के कारण प्रार्थी से रंजिश रखता है। इसी रंजिश के चलते अप्रार्थी द्वारा अपने ससुर के कहने पर प्रार्थी को उसके घर से बेदखल करने हेतु आदेश दिनांक 28.06.2021 पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्ती है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर पिछले 60 वर्षों से कब्जा है जो कि उनके पिता के समय से लगातार चला आ रहा है। पंचायतीराज एक्ट की धारा 157(क) के तहत पुराने कब्जों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा उक्त नियमों के तहत जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन भी किया हुआ है जिसको नजरअंदाज कर प्रार्थी के उक्त पुराने कब्जा का विनियमितिकरण नहीं कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना पारित किया होने से निरस्त किया जावे। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 57/2023 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, अनवान संजय बनाम सरकार के फर्द अहकाम दिनांक 28.08.2023 से 01.12.2023 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेशिका दिनांक 28.08.23 द्वारा चक 3 टीटीडी–बी के प.नं. 171/18 के कि.नं. 19 से 22 कुल 4 बीघा पर स्थगन प्रभावी है।

जवाब में अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पुराना कब्जा बताकर प्रस्तुत की है जबकि निगरीनकर्ता ने मौके पर अपना पुराना कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज या मौका पर निर्माण संबंधी कोई फोटोग्राफ निगरानी के साथ पेश नहीं किये है। निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा ना होने के कारण वह मौके पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। निगरानीकर्ता द्वारा धारा 97 पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि वह हितबद्ध व्यक्ति नहीं होकर व्यथित व्यक्ति है इसलिए उसे धारा 61 के तहत ग्राम पंचायत के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त था। निगरानीकर्ता द्वारा मौका पर नई झोंपड़िया बनाने व अवैध अतिक्रमण की जगह कंटीली बाड़ का निर्माण किया गया है जो विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ की रिपोर्ट क्रमांक 1074 दिनांक 14.07.2021 से स्पष्ट है। अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने आगे कथन किया कि दिनांक 15.07.2021 को स्थगन आदेश्श खारिज किया जा चुका है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी स्थगनादेश दिनांक 28.08.23 का गहनता से अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2021 अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा किया गया अतिक्रमण दिनांक 1.07.2021 को हटाया जा चुका है एवं निगरानीकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई संशोधित निगरानी प्रस्तुत नहीं की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी स्थगनादेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 24.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 57/2023 में पारित किया गया है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2021 को जारी स्थगनादेश पूर्व में आदेश्श दिनांक 15.07.2021 द्वारा खारिज किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ विवादित रकबा/भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है एवं निगरानीकर्ता द्वारा किये गये अतिक्रमण दिनांक 01.07.2021 को हटाने जाने के उपरांत संशोधित निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner